1900/2009

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-3/2014 **Order** Dated Shimla-171002, the

Sub :- जिला शिमला में रामपुर वन प्रभाग के अन्तर्गत 8 मेगावाट क्षमता की कुर्मी जल विधुत परियोजना के निर्माण हेतु 4.1008 हे0 वन भूमि का मेसर्स कुर्मी एनर्जी प्रा0 लि0 के पक्ष में प्रत्यावर्तन ।

भारत सरकार पर्यावरण एव वन मन्त्रालय मध्य क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अर्न्तगत पूर्व में समसंख्यक पत्र दिनाक 27,08,10 द्वारा उक्त प्रस्ताव में **4.8360 hectares** वन भूमि प्रत्यावर्तन की विधिवत स्वीकृति प्रदान की गई थी। अतः अब भारत सरकार पर्यावरण एंव वन मन्त्रालय मध्य क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा पत्र संख्या **9-HPB077/2010-CHA/329 दिनांक 10.09.14** के द्वारा उक्त परियोजना को बाबत अतिरिक्त 1.20 हे0 वन भूमि प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव जिसमें यह भी अवगत करवाया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्व में स्वीकृत 4.8360 हे0 में से 1.9405 हे0 वन क्षेत्रफल का प्रयोग नही किया जाएगा, के परिणामस्वरुप राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित यथासंशोधित होकर **4.1008 hectares** वन भूमि को M/s Kurmi Energy (P) Ltd., S.C.O. 140-141, Sector-34-A, Chandigarh, को उपयोग के लिए प्रत्यावर्तन एवं 307 वृक्षों के पातन तथा 571 पौधों की कटाई की विधिवत स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान करती है।

1 वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नही जाएगी।

2 प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के दुगुने वन भूमि अर्थात 8.2016 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा।

3 अगर शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0बी0 की बढी हुई दर की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।

4 प्रयोगता अभिकरण द्वारा भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कडाई से अनुपालना किया जायेगा।

5 प्रयोक्ता एजैंसी द्वारा डम्पिंग साइट का रिक्लेमेशन योजना कायान्वित किया जाएगा। वन मण्डल अधिकारी निजी तौर पर इस शर्त के कियान्वयन को सुनिश्चित करेगा कि मलबा स्थल का उचित रूप से सुधार कर दिया गया है।

6 मलबे का प्रयोग स्थानिय रूप से पुश्ता–दिवार (Retaining Wall) के पीछे गड्ढो को भरने/ढलानों के सुधार के लिए किया जायेगा। इसे पहाडी ढलान के नीचे बिल्कुल नही गिराया जायेगा तथा न ही नालों आदि में गिराया जाएगा।
प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एव भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा।

7 यदि कोई अन्य संबधित / अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश /अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना / प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

8 परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवंज जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जायेगी।

9 प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा।

10 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टॉफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।

11 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल / वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/ स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

12 प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा। प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस पास की वनभूमि से / पर निर्माण कार्य के दौरान मिटटी / पत्थर काटने एव भरने का कार्य नही किया जाएगा।

13 प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर प्रस्तावित वन क्षेत्र का बाउन्ड्री पीलर द्वारा सीमांकन किया जायेगा अक्षांस एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगें प्रत्येक पीलर के आगे एवं पीछे उनकी दिशा भी लिखिनी होगी। इसकी जानकारी क्षेत्रिय कार्यालय को भी प्रदान की जाएगी।

14 निर्माण कार्य के अन्तर्गत पातित होने वाले वृक्षों का पातन राज्य के वन विकास निगम द्वारा किया जाएगा एवं आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।

15 वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक–23.08.2013 का है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के दिशा निर्देश के अनुसार जो प्रमाण पत्र दिनाक–05.07.2013 के पहले निर्गत किए गये हैं वे ही इस स्वरूप मे मान्य है। अत: प्रयोक्ता अभिकरण वनाधिकार अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करें। उसके बाद ही राज्य सरकार भूमि स्थानान्तरण के आदेश जारी करेगी।

16 प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नही होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

17 A lease- deed of the forest land shall be executed by the user agency with Collector- cum- Deputy Commissioner, District Kullu, H.P.

आदेश अनुसार
प्रधान सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला –2

Endst. NoFFE-B-F(2)-3/2014(FCA) Dated, Shimla-171001 the,... 14-10-2014

Copy is forwarded to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Paryavaran Bhawan, C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi – 110510.
2. Deputy Conservator of Forests (Central), Regional Office, Dehradun, FRI Campus, Pearson Road, New Forest, Dehradun-248006
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer –cum- Addl. Pr. CCF (FCA), Forest Department, Himachal Pradesh, Shimla-171001,
5. The Deputy Commissioner, Shimla, Distt. Shimla, Himachal Pradesh .
6. CF,Shimla/DFO, Rampur Forest Division, Distt. Shimla, H.P.
7. M/s Kurmi Energy (P) Ltd., S.C.O. 140-141,Sector-34-A, Chandigarh.
8. Guard File.

(Prakasha Nand)
Deputy Secretary (Forests) to the
Govt. of Himachal Pradesh.
0177–2628481,9418455573